



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(119)डीएमई/जोध/बजट घोषणा/2022-23

जयपुर, दिनांक: 21 APR 2022

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,  
चिकित्सा महाविद्यालय,  
जोधपुर।

विषय:- बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 13(1) की क्रियान्विति में महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में संक्रामक रोग वार्ड स्थापित करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 7096 दिनांक 05.03.2022 एवं पत्र क्रमांक 4874 दिनांक 10.03.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 13(1) की क्रियान्विति में महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में संक्रामक रोग वार्ड स्थापित करने हेतु भवन निर्माण के लिए प्रस्तुत नक्शों व तकमीने के अनुसार बजट मद 4210-03-105-07-05-17 राज्य निधि में लागत रुपये 135.37 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख सैंतीस हजार मात्र) एवं वार्ड के लिए उपकरण क्रय हेतु बजट मद 4210-03-105-07-05-18 राज्य निधि में राशि रुपये 50.00 लाख (अक्षरे रुपये पचास लाख मात्र) के व्यय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त बजट मद 2210-01-110-(01)-[00]-17 में निम्नानुसार नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति भी एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

S.No.	Name of Posts	No. of Posts
1	Professor, Infectious Disease	01
2	Associate Professor, Infectious Disease	01
3	Assistant Professor, Infectious Disease	01
4	Senior Resident	02
5	Junior Resident	04
6	Nurse Gr. 1	03
7	Nurse Gr. 2nd	16
8	Lab Technician	04
9	Information Assistant	02
10	Class 4th	03
<b>Total</b>		<b>37</b>

सफाई कार्य RTPP के अनुसार जॉब बेसिस पर कराया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152200352 दिनांक 18.04.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


भवदीय



(इकबाल खान)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट/आयोजना) विभाग।
5. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आयोजना), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
11. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
12. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
13. अनुभागाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

  
(अशोक कुमार सोनी)  
शासन उप सचिव